न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी मथुरा लाल बनाम अंगद वगै

किस्म प्रकरण– अपील

जीसीएमएस संख्या 2025/152 प्रकरण संख्या 11/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
18.2.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी अपील अपीलान्ट द्वारा नामा0संख्या 1184 दिनांक 5.12.2025 वाके ग्राम लोरवाडा के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। उक्त नामा0 को सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया है जिसकी अपील की सुनवायी का क्षेत्राधिकारी श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त नही होकर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए उक्त अपील को उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे स्थानान्तरित की जावे। वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील श्रीमान के न्यायालय पेश की गयी जिसको सुनवायी का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त नही होकर उपजिला कलेक्टर न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज फरमायी जावे। वकील उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि अपीलान्ट ~~की~~ इस अपील को सुनवायी का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही होकर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश जैर अपील के विरूद्व नये सिरे से उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे अपील पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner